

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-9) विभाग

क्रमांक प.33(2)गृह-9/2019

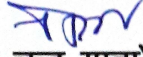
जयपुर, दिनांक: 16.04.2021

संशोधित आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 16.04.2021 के बिन्दु संख्या 9 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

9. समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 8 बजे तक की छूट होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रिंट मीडिया कार्मिक आई-डी कार्ड के साथ अनुमत होंगे।

विभाग द्वारा जारी अन्य दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।


(सुरेश चन्द गुप्ता)
शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड।
9. सभी विभागाध्यक्ष।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
11. समस्त कलेक्टर।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
14. महाप्रबंधक, उत्तर-पश्चिम रेलवे, जयपुर, राजस्थान।
15. एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर।
16. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर
17. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
18. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
19. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।


शासन सचिव, गृह